

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद कार्यालय फोन नं. 07749-229944
ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

क्रमांक / तक्र.अधि. / 2020 / 357-
प्रति,

बालोद, दिनांक 23/07/2020

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 for the purpose of Bharat Net Phase-II Balod Division " Bharat Net project which is a GOI Initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre Cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of optical Fiber cable of 32466 KM will involve 26 districts across the state", area- 5.075 ha. - regarding. पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/43110/2019

संदर्भ:-

1. छ.ग. शासन का पत्र क्र./एफ 7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्र./यू-प्रबंध /विधि /एल. एम.-115-834/3181 दिनांक 24.12.2019
3. आवेदक संस्थान का पत्र क्र./मानेप्रो-11/वनभूमि/प्रस्ताव/2020-21/116 दिनांक 21.05.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारतनेट प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोजेक्ट फेज- II के सफल क्रियान्वयन हेतु बालोद जिला के बालोद वनमंडल क्षेत्रांतर्गत डोंडी एवं डोंडीलोहारा ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा साईट - ऑफ-वे के अंतर्गत 4.824 हे. वनभूमि एवं 0.251 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 5.075 हे. पर ऑप्टिकल फा यवर केवल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के गैर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से पंजीयन आवंटन किया गया है। के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 03 के माध्यम से चेक लिस्ट 01 से 21 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण उपरांत प्रस्ताव कठिका वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) ने बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत 4.824 हे वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि 0.251 हे. पर Optical fiber laying हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म "क" पर कुल रकबा 5.075 हे. मांग किया है, जिसका स्थल निरीक्षण वनमंडल अधिकारी द्वारा किया जा कर प्रपत्र 3" पर अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण दिनांक 29/06/2020 के आधार पर की गई है। फार्म-ए का पार्ट-2 (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनमंडलाधिकारी) एवं आनलाईन टाईम लाईन की 1-1 प्रति में संलग्न है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43110/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 24000/-रु. जमा कर दिया गया है।	2-3
3.	वन क्षेत्र विवरण:- आवेदित रकबा 5.075 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	4-13

4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- प्रस्ताव में 36.431 हे० गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	14
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोगीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15-18
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	19-23
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र-4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 76 करोड़ 89 लाख रु है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत आर्टिकल फायवर केबल बिछाने से ग्रामीण आवादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और बिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।	24-40
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	41-43
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	44
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	45
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र III, IV वरिष्ठ कार्यालय से भरा जावेगा:- प्रपत्र-3 वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	46-63
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	64
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र:- संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	65-68
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- जिले की कुल वन भूमि रकबा 862.920 वर्ग कि.मी. है।	69
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 10 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा 684.058 हे. है।	70
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- जिले में इसी Catagory के कोई प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।	71
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं है।	72
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नहीं किया गया है, तथा कलेक्टर, बालोद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	73-74
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक मू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्तावन में 0.251 हे० राजस्व वन भूमि सम्मिलित है तथा कलेक्टर, बालोद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	75-78
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण:- प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/43110/2019 एवं 24000 रु पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।	79

21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ़ की अनुसंधान:- ओ.एफ.सी केवल राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण से नहीं गुजर रही है।	79-127- 80-128
-----	--	-------------------

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, निर्धारित प्रपत्र भाग-3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 4 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
3. टाईम लाईन


वनमंडलाधिकारी

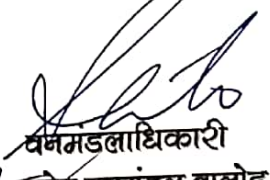
बालोद वनमंडल बालोद

बालोद, दिनांक 23/07/2020

क्रमांक/तक.अधि./2020 1958.

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर बालोद जिला बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. JCEO, Chhattisgarh Infotech promotion society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil line Raipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद